



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-23122021-232078
CG-DL-E-23122021-232078

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4940]

नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 22, 2021/पौष 1, 1943

No. 4940]

NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 22, 2021/PAUSA 1, 1943

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 दिसम्बर, 2021

का.आ. 5331(अ).—केन्द्रीय सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि हासन (कर्नाटक राज्य) से चेरलापल्ली (तेलंगाना राज्य) तक एलपीजी परिवहन के लिए हिंदुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा पाइपलाइन बिछाई जानी चाहिए;

और केन्द्रीय सरकार को उक्त पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि ऐसी भूमि जिसके नीचे पाइपलाइन बिछाई जाने का प्रस्ताव है और जो इस अधिसूचना जिला मेडचल मलकाजीगिरी से उपाबद्ध अनुसूची में वर्णित है, में उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन्स (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 कि उप धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उनमें भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है;

कोई व्यक्ति, जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको, भारत के राजपत्र में यथा प्रकाशित इस अधिसूचना की प्रतियाँ साधारण जनता को उपलब्ध करा दी जाती है, इक्कीस दिन के भीतर, भूमि के नीचे पाइपलाइन बिछाये जाने के लिए, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के संबंध में श्री बी. वेंकटेश्वरलू, सक्षम प्राधिकारी, हासन -चेरलापल्ली एलपीजी पाइपलाइन परियोजना, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड, मोडयूल न. 202, दूसरा माला, एन.एस.आई.सी.-ई.एम.डी.बी.पी. भवन, कमलानगर, डॉ.ए.एस.रावनगर, ई.सी.आई.एल.(पी.ओ.), हेदराबाद - 500062. को लिखित रूप में आक्षेप भेज सकेगा।

अनुसूची

मंडल - घटकेसर	जिला - मेडचल मलकाजीगिरी	राज्य - तेलंगाना	क्षेत्रफल	
क्रमांक	गाँव का नाम	सर्वे नं.	एकर्स	गुंटा
1	1.अन्नोजीगुडा	3	00	05
2		4	00	15

[फा. सं.आर-12031/2/2019-ओ.आर-आई/ई-31417]]

पी. सोमाकुमार, अवर सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS

NOTIFICATION

New Delhi, the 20th December, 2021

S.O. 5331(E).—Whereas, it appears to the Central Government, that it is necessary in the public interest that for the transportation of LPG Pipeline, Hassan (Karnataka) to Cherlapalli (Telangana) should be laid by Hindustan Petroleum Corporation Limited;

And whereas, it appears to the Central Government that for the purpose of laying the said pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land under which the said pipeline is proposed to be laid, in Medchal-Malkajigiri District of Telangana State, and which is described in the Schedule annexed to this notification;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Any person interested in the land described in the said schedule may, within twenty one days from the date on which the copies of this notification issued under sub-section (1) of Section 3 of the said Act, as published in the Gazette of India, are made available to the general public, object in writing to the acquisition of the right of user therein or laying of the pipeline under the land to The Competent Authority & Deputy Collector, Hassan-Cherlapalli LPG Pipeline Project, Hindustan Petroleum Corporation Limited, Module No.202, Second floor NSIC-EMDBP Building, Kamalanagar, Dr.A.S.Rao Nagar ECIL (P.O) Hyderabad-500062.

SCHEDULE

Mandal : Ghatkesar	District : Medchal-Malkajigiri	State : Telangana	Area	
SL. No	Name of the Village	Survey No.	Acres	Guntas
1	1.Annojiguda	3	00	05
2		4	00	15

[F. No. R-12031/2/2019-OR-I/E-31417]

P. SOMAKUMAR, Under Secy.